न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 17/388

मानकंवर बाई धर्म पत्नी श्री बिरधीलाल आयु 38 साल जाति मीणा निवासी ग्राम कुराड तहसील कनवास जिला कोटा ।

----अपीलान्ट

बनाम

1. विजय शंकर आत्मज श्री रामलाल आयु 38 वर्ष जाति धाकड ।
2. बीना कुमारी पुत्री श्री रामलाल आयु 37 वर्ष जाति धाकड ।
3. छोटी बाई बेवा श्री रामलाल आयु 62 वर्ष जाति धाकड ।
4. लूंगा बाई जीवन संगनि श्री लक्ष्मीनारायण आयु 62 वर्ष जाति धाकड निवासीगण ग्राम कुराड तहसील कनवास जिला कोटा ।
5. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार कनवास जिला कोटा ।

----रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री घनश्याम नागर, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।

निर्णय

दिनांकः 26.08.2020

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कनवास जिला कोटा द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 09.05.2017 के विरूद्ध पेश की गई हैं ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादी अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88, 89 एवं 188 के अन्तर्गत वाद प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम कुराड तहसलील कनवास जिला कोटा में खाता नम्बर 517 की खसरा नम्बर 684/1882 की 0.50 हैक्टर व खसरा नम्बर 689 की 0.44 हैक्टर कुल किता 02 की रकबा 0.94 हैक्टर भूमि स्थित है । उक्त भूमि के पूर्व खसरा नम्बर 173 मिन रकबा 05 बीघा 16 बिस्वा थे । वादिनी से पूर्व खातेदार हेमराज उसके द्वारा भी उक्त आराजी उससे पूर्व के खातेदार लटूर लाल से क्रय की थी तब से ही तथा आवंटन के समय के पूर्व खातेदार व उनके बाद उत्तरोत्तक खातेदार उक्त आराजी पर काबिज काश्त चले आ रहे हैं । पूर्व खसरा नम्बर 173 के दो खसरा नम्बर बनाये गये जिनमें से वादिनी खसरा नम्बर 684/1882 रकबा 0.50 हैक्टर पर काबिज काश्त है तथा खसरा नम्बर 689 पर कोई अन्य व्यक्ति काश्त करता

है । वादिनी खसरा नम्बर 684/1882 की रकबा 0.50 हैक्टर के आलावा पास के ही खसरा नम्बर 684 की 0.44 हैक्टर भूमि पर काबिज काश्त हैं । खसरा नम्बर 684 के खातेदार प्रतिवादीगण क्रम 1 लगायत 3 हैं तथा मौके पर 684 का रकबा 1.10 हैक्टर में से 0.44 हैक्टर उत्तरी तरफ पर वादिनी काबिज है शेष आराजी पर प्रतिवादी क्रम 04 काबिज काश्त है । बन्दोबस्त कर्मचारियों द्वारा वादिनी के खाते के खसरा नम्बर 173 के दो नम्बर अलग–अलग स्थानों पर बना दिये गये तथा वादिनी एक ही स्थान पर कब्जे काश्त कर रही हैं । वादिनी को उक्त त्रुटि का ज्ञान उसके द्वारा मई माह में हल्का पटवारी से सीमाज्ञान करवाने हेतु निवेदन किया तब हुआ । वादिनी को अधिकार प्राप्त है कि वह अपने खाते को दुरूस्त करवाकर खातेदारी घोषणा करावे ।

3. अतः वाद वादिनी स्वीकार किया जाकर वादी के पक्ष में प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस आशय की डिक्री पारित की जावे कि वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 689 की रकबा 0.44 हैक्टर को दुरूस्त करके उसके स्थान पर खसरा नम्बर 684 की 0.44 हैक्टर उत्तरी तरफ का खातेदार घोषित किया जावे तथा खसरा नम्बर 684/1882 की 0.50 हैक्टर व खसरा नम्बर 684 की 0.44 हैक्टर उत्तरी तरफ पर काबिज प्रतिवादीगण या कोई अन्य व्यक्ति बाधा कारित नहीं करे ।

4. अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद को लोक अदालत में रखते हुए अपने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 09.05.2017 के द्वारा वाद वादिनी खारिज कर दिया ।

5. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 09.05.2017 से व्यथित होकर अपीलान्ट वादिनी ने न्यायालय हाजा में अपील पेश कर कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को सनुवाई एवं साक्ष्य का अवसर प्रदान किये बिना ही अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित कर दी । अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य की ओर ध्यान नहीं दिया कि वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 689 रकबा 0.44 हैक्टर को दुरूस्त कर हाल खसरा नम्बर 684 रकबा 0.44 हैक्टर उत्तरी तरफ पर अपीलान्ट पूर्व की भांति काबिज होकर काश्त करती चली आ रही है । अपीलान्ट खसरा नम्बर 684/1882 रकबा 0.50 हैक्टर पर काबिज काश्त है । अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को लोक अदालत का कोई नोटिस जारी नहीं किया । अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना ही लोक अदालत में निर्णय पारित किया गया है । सीपीसी की पालना नहीं की गई है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 09.05.2017 निरस्त फरमाया जावे ।

6. अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । रेस्पोडेन्ट बावजूद सूचना के उपस्थित नहीं आने से अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता की एक पक्षीय बहस सुनी गई ।

7. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय में अपीलान्ट ने एक दावा बाबत् हक घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा पेश किया था जिसे अपीलान्ट को सुनवाई एवं साक्ष्य का अवसर प्रदान किये बिना खारिज किया है । वादग्रस्त आराजी पर अपीलान्ट काबिज है । दावा अपीलान्ट के द्वारा

हक घोषणा का पेश किया गया था जिसका कोई खण्डन रेस्पोडेन्टगण के द्वारा पेश नहीं किया गया था । इसके बावजूद जवाब सरकार को आधार मानकर दावा खारिज किया है । तनकीयात कायम कर साक्ष्य पेश करने का अवसर अपीलान्ट को प्रदान नहीं किया गया है । लोक अदालत का कोई नोटिस अपीलान्ट को नही दिया गया है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 09.05.2017 निरस्त फरमाया जावे ।

8. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस पर मनन किया । वादिनी के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में एक दावा हक घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा का वादग्रस्त आराजी के बाबत् पेश किया था । पत्रावली तलबी एवं जवाबदावे में लम्बित थी और इसमे दिनांक 19.07.2017 की तारीख दी गई थी इससे पूर्व ही दिनांक 09.05.2017 को पत्रावली लोक अदालत में रखी गई । लोक अदालत में वादी और प्रतिवादीगण में से कोई भी उपस्थित नहीं हुए हैं और न ही पक्षकारों के द्वारा कोई राजीनामा पेश किया गया है और उसी दिन गुणावगुण के आधार पर निर्णय पारित करते हुए दावा वादी खारिज किया गया है । सीपीसी की पालना नहीं की गई है ।

9. लोक अदालत में केवल उन्हीं प्रकरणों का निस्तारण किया जाता है जिसमें उभय पक्ष उपस्थित होकर विधिक राजीनामा पेश करे । इसके अभाव में दावे एवं जवाबदावे के आधार पर तनकीयात कायम कर प्रत्येक तनकी पर पक्षकारान की साक्ष्य लेकर प्रत्येक तनकी का स्पष्ट निष्कर्ष पारित करते हुए विधि सम्मत गुणावगुण के आधार निर्णय पारित करना होता है । इस दृष्टि से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । हम प्रस्तुत प्रकरण को अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित समझते हैं ।

10. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 09.05.2017 निरस्त किया जाता है । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि प्रतिवादीगण से जवाबदावा प्राप्त कर, दावे एवं जवाबदावे के आधार पर तनकीयात कायम कर प्रत्येक तनकी पर पक्षकारान की साक्ष्य लेकर प्रत्येक तनकी का स्पष्ट विवेचन करते हुए सीपीसी की पालना करते हुए गुणावगुण के आधार पर विधि सम्मत रूप से निर्णय पारित करें । पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे दिनांक 05.10.2020 को अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हों ।

11. निर्णय आज दिनांक 26.08.2020 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

26.8.2020

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा